बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–

प्रेषक,

एo केo पाण्डेय, भाoवoसेo,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन संरक्षक,
पटना अंचल, पटना।

पटना–14, दिनांक–........../........./**2019**

विषय : नालंदा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ–एकंगरसराय पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.404148 हेo वन भूमि का "Vindhya Telelinks Ltd, पटना के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 11-09/98 FC दिनांक 07.09.2015 के आलोक में तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार, के पत्रांक 215 (ईo) दिनांक 21.02.2019 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को Stage-I स्वीकृति निर्गत करने हेतु सहमति संसूचित की गयी है।

तद्आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना द्वारा निम्नांकित शर्त्तों के साथ नालंदा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ–एकंगरसराय पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु 0.404148 हेo वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती है–

(i) अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

(ii) यद्यपि परियोजना निर्माण में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं होना है, परन्तु हरितावरण को बनाये रखने हेतु 50 वृक्षों का रैखिक वृक्षारोपण परियोजना खर्च पर किया जायेगा। इस निमित् प्रयोक्ता एजेंसी रूo 5,17,112/– मात्र को पर्यावरण एवं वन विभाग को उपलब्ध करायेगी।

(iii) प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा परियोजना निर्माण कार्य बिना स्वीकृति प्राप्त किये जाने के कारण MoEF&CC, नई दिल्ली के पत्रांक 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के आलोक में NPV के समतुल्य राशि रूo 2,52,997/– मात्र की राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) क्षतिपूरक वनीकरण एवं Penal NPV मद की कुल राशि रूo 7,70,109/– (रूपये सात लाख सत्तर हजार एक सौ नौ) मात्र को मंत्रालय के वेव–साईट **parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराया जायेगा।**

(v) उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित कराना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस